प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021

"खाता दुरुस्ती आवेदन पत्र"

(रा. भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136)

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय,
खेरवाड़ा जिला उदयपुर।

विषय :– राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्ती के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम गुड़ा की जमाबन्दी संवत् 2075-2078 खाता संख्या 69 एवं 108 में – मुझ प्रार्थी का नाम खा. सं. 69 में गपसी पिता थावरा एवं खा. सं. 108 में रूपसी पिता थावरा दर्ज है। मेरा सही नाम रापसी पिता थावरा है, मेरे राशन कार्ड, वोटर आई डी, आधार कार्ड, जन-आधार कार्ड, एवं बैंक डायरी में भी मेरा सही नाम रापसी ही दर्ज है। मेरा नाम राजस्व खाते में दर्ज करते समय गाँव में मुहबोला नाम गपसी/रूपसी होने से उसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में गलत नाम दर्ज हो गया। खाते में नाम मेरे वास्तविक नाम का अपभ्रंश एवं विकृत रूप है।

अतः उक्त दुरुस्ती किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

प्रार्थी

....

दिनांक :

रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि.

प्रार्थी रापसी द्वारा प्रार्थना-पत्र में अंकित तथ्य सही है। ग्राम गुड़ा की खा. सं. 69 में प्रार्थी का नाम गपसी एवं खा. सं. 108 में रूपसी नाम दर्ज है जबकि प्रार्थी के नाम सरकारी दस्तावेजों में सही नाम रापसी दर्ज है। खाते में दर्ज नाम प्रार्थी के नाम का विकृत या अपभ्रंश है। अत: ग्राम गुड़ा की खा. सं. 69 एवं 108 में दर्ज नाम क्रमश: गपसी, रूपसी के बजाय सही इंद्राज रापसी दर्ज किया जाना उचित है।

भू.अ.निरीक्षक
15/11/21
नयागांव

पटवारी
पटवार मण्डल-गुड़ा
तह. नयागांव, जि. उदयपुर (राज.)

रिपोर्ट तहसीलदार, नयागांव

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, संलग्न दस्तावेज, ग्राम पंचायत गुड़ा का एक ही नाम का प्रमाण पत्र एवं पटवारी तथा भू.अ. निरीक्षक पाईमा की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी गपसी पिता थावरा का शुद्ध नाम ~~रापसी~~ रूपसी पिता थावरा खाता संख्या 69 एवं 108 में दर्ज करना उचित है।

16.11.21
तहसीलदार-नयागांव
जिला-उदयपुर (राज.)

आदेश

तहसीलदार नयागाँव की रिपोर्ट के आधार पर ग्राम गुड़ा के खाता सं. 69 ~~एवं 108~~ में अंकित "गपसी पिता थावरा" 108 में ~~के स्थान पर~~ ~~रूपसी~~ "रूपसी पिता थावरा" के बजाय रापसी पुत्र थावरा के नाम की शुद्धि किये जाने का आदेश पारित किया जाता है। राजस्व रिकार्ड में शुद्धि किये जाने बाबत तहसीलदार नयागाँव को लिखा जावें।

उपखण्ड अधिकारी

प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खैरवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी, प्रशासन गांवों के संग अभियान, 2021 कैम्प कोर्ट)

कैम्प कोर्ट का स्थान गुड़ा

–:आदेश:–

प्रार्थी के *"खाता दुरुस्ती"* प्रार्थना पत्र एवं पटवारी गुड़ा व भू.अ.नि. पारिया की रिपोर्ट तथा उप तहसीलदार ~~सालासर~~ नयागांव की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम गुड़ा तहसील नयागांव जिला उदयपुर की जमाबन्दी सम्वत् 2075-78 में खाता संख्या 69 108 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रुप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामर्द के आदेश दिये जाते हैं :–

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	गुड़ा	69	रूपसी पुत्र थावरा	रापसी पुत्र थावरा
		108	रूपसी पुत्र थावरा	रापसी पुत्र थावरा

( )
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा.कलक्टर, खैरवाड़ा

क्रमांक :– राजस्व/2021/108 दिनांक :– 16.11.2021.

प्रतिलिपि :–

1. तहसीलदार, नयागांव को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री ———————————————— को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा.कलक्टर, खैरवाड़ा